न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्या0) सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री मोनिका बलारा, आर.ए.एस (प्रशिक्षु)

मुकदमा संख्या :– 03/2016

उनवान

1. सरूपी पत्नि स्व. श्री चरतलाल
2. समरथ लाल पुत्र चरतलाल
3. विक्रम सिंह पुत्र चरतलाल,
   समस्त जातियान मीना निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

बनाम

1. चिरंजी लाल पुत्र रामानारायण जाति माली निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।
2. मोहन लाल पुत्र श्योजी जाति माली निवासी आलनपुर सवाईमाधोपुर।
3. प्रताप सिंह पुत्र श्योजी जाति माली निवासी आलनपुर सवाईमाधोपुर।
4. सुरेश चंद पुत्र श्योजी जाति माली निवासी आलनपुर सवाईमाधोपुर।
5. हेमराज पुत्र दयाराम जाति मीना निवासी सूरवाल
6. हण्डू पुत्र दयाराम जाति मीना निवासी सूरवाल
7. रामवतार पुत्र दयाराम जाति मीना निवासी सूरवाल
8. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्याम मोहन शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 4
3. श्री विष्णु सोमानी वकील अप्रार्थी नम्बर 5 लगायत 7

निर्णय **दिनांक :– 07.09.2016**

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राथी नम्बर 1 के पति व प्रार्थी नम्बर 2 व 3 के पिता चरत लाल मीना की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि ग्राम सूरवाल में साबिक खसरा नम्बर 34, 503 व 534

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर

(21 मु०न० 03/2016

रही है। इस उक्त भूमि को चरत लाल के जीवनकाल में चरत लाल काश्त करता था तथा चरत लाल की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी गण 1 लगायत 3 उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त प्राप्त कर रहे है। साबिक खसरा नम्बर 34 के हाल खसरा नम्बर 282 रकबा 1.47 हैक्टेयर तथा साबिक खसरा नम्बर 530 के हाल खसरा नम्बर 730 रकबा 1.01 हैक्टेयर व 731 रकबा 0.01 व 732 रकबा 0.02 बने है। साबिक खसरा नम्बर 534 के हाल खसरा नम्बर 728 रकबा 0.71 हैक्टेयर बने है, जिसका इन्द्राज अप्रार्थीगण नम्बर 1 तथा 2 लगायत 4 के पिता श्योजी व 5 लगायत 7 के पिता दयाराम ने अपने नाम करवा ली, जबकि उक्त अराजीयात पर इनका कब्जा नहीं है। उक्त अराजीयात को अप्रार्थीगण अपने खातेदारी का फायदा उठाकर रहन व हस्तान्तरण करने पर अमादा है। यदि उक्त अराजीयात का अप्रार्थीगण ने किसी अन्य दिगर व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी तो मुकदमेंबाजी की विविधता बढ़ेगी।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि मूल वाद के निर्णय तक हाल खसरा नम्बर 282, 730 लगायात 732 एवं 728 पर प्रार्थी गण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पेदा न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावें तथा अराजीयात को ताफैसला दावा रहन व हस्तान्तरण नहीं करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 की ओर से जबाव पेश किया, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जबाव पेश किया, जिसमें अंकित किया कि हाल खसरा नम्बर 282, 730, 731, 732 के अप्रार्थीगण रिर्कोडेड खातेदार है। रिर्कोडेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। उक्त अराजी पर प्रार्थी नम्बर 1 के नाम खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 ने उक्त भूमि में अमरूदों का बगीचा लगा रखा है तथा खसरा नम्बर 282 रकबा 1.47 हैक्टेयर अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की उक्त अराजीय पर असामाजिक तत्वों को साथ लेकर अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त व स्वामित्व की भूमि में व्यवधान पैदा करने पर अमादा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज करते हुए प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के स्वामित्व की भूमि खसरा 730, 731, 732 व 282 के कब्जे काश्त में स्वयं प्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही दीगर व्यक्ति से करावें। प्रार्थीगण की ओर से जबाबूल जबाव पेश करते हुये अंकित किया कि अप्रार्थीगण द्वारा झूठे काउन्टर प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते है, जिसकी कोई सत्यता नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त अराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अतः अप्रार्थीगण का काउन्टर क्लेम खारीज फरमावें। हमने उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सूनी।

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर

(3) मु.नं 03/2016

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित वाकियात को दोहराया तथा तर्क दिया कि साबिक खसरा नम्बर 34, 503, 534 जरिये दान पत्र प्रार्थीगण के पूर्वज चरत लाल की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थीं तथा यह भूमि जरिये विभाजन प्राप्त हुई हैं। उक्त खसरा नम्बर पूर्व में नानगा के खातेदारी में थी। जो जरिये नामान्तकरण संख्या 222 वाके ग्राम सूरवाल में से प्रार्थी के पति एवं पिता चरतलाल दर्ज कर दी गई है। प्रार्थीगण के पिता चरत लाल को बिना नोटिस जारी किये अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है, जो पूर्णता विधि प्रतिकुल है तथा प्रार्थीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के अधिकारी है कि ताफैसला दावा विवादित आराजीयात को रहन वय हस्तान्तरित नहीं करें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से बहस प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात राज्य सरकार द्वारा आंवटित की गई थी तथा उक्त आराजीयात के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। अतः इन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावें।

हमने उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया। विवादित अराजीयात खसरा नम्बर 730, 731, 732 वाके ग्राम सूरवाल जमाबन्दी समस्त 2070 से 2073 के अनुसार चिरंजी लाल पुत्र रामनारायण की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा 282 प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस बताया गया कि यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। प्रार्थीगण को चाहिये था कि उक्त अराजी अप्रार्थीगण के नाम आवंटन हुई थी। तत्त समय आवंटन आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके आवंटन आदेश को निरस्त करवाना चाहिये था। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को उक्त अराजीयात को विधिवत रूप से आवंटित हुई है तथा खातेदारी दी गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायात 4 के पक्ष में पूर्णरूप से साबित है। जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। क्योंकि प्रार्थीगण उक्त अराजीयात के खातेदार नहीं है। जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस बताया कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 द्वारा उसकी खातेदारी की अराजीयात में बगीचा लगा रखा है, जो आज भी सरसब्ज है।

इस प्रकार अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकारयोग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1

सहायक कलेक्टर
एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मु.) सवाई माधोपुर

(4) मु०नं० 03/2016

लगायत 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण 1 लगायात 4 की खातेदारी की अराजीयात खसरा नम्बर 730, 731, 732 व 282 अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें, न अन्य से करावें। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.02.2016 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2016 को मेरे द्वारा अंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) सवाई माधोपुर